v/;k;&IV
okguk] eky ,o ;kf=;k ij dj

4-1 dj i'kklu

परिवहन विभाग की प्राप्तियों का विनियमन मोटर यान अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 (उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम) तथा उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 (उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली) के प्रावधानों के अन्तर्गत होता है।

शासकीय स्तर पर प्रमुख सचिव परिवहन, उत्तर प्रदेश, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होते है। करों एवं शुल्कों के निर्धारण एवं संग्रहण की सम्पूर्ण प्रक्रिया का प्रशासन एवं पर्यवेक्षण परिवहन आयुक्त (प0आ0) उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा किया जाता है जिनकी सहायता मुख्यालय में दो अपर परिवहन आयुक्तों तथा क्षेत्र में छः उप परिवहन आयुक्तों (उ0प0आ0) 19 सम्भागीय परिवहन अधिकारियों (स0प0आ0) तथा 72 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों (स0स0प0आ0) (प्रशासन) द्वारा की जाती है। सम्भागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा परिवहन यानों से सम्बन्धित परमिटों के निर्गम एवं नियंत्रण का सम्पूर्ण कार्य का निर्वहन किया जाता है तथा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा परिवहन यानों एवं गैर परिवहन यानों से सम्बन्धित करों एवं शुल्कों के निर्धारण एवं आरोपण के कार्य का निर्वहन किया जाता है। उप सम्भागीय परिवहन कार्यालयों का सम्पूर्ण प्रशासन सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा प्रशासित किया जाता है।

4-2 y[kkijh{kk d ifj.kke

विभाग ने वर्ष 2013–14 में ₹ 3,442.01 करोड़ के राजस्व की वसूली की। परिवहन विभाग से सम्बन्धित 72 इकाईयों के वर्ष 2013–14 के अभिलेखों की नमूना जाँच में कर के अनिर्धारण/अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताओं के ₹ 45 करोड़ के 809 मामलें प्रकाश में आये जो lkj.kh 4-1 में दर्शायी निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं:

lkj.kh 4-1
y[kkijh{kk d ifj.kke

			(₹ djkM+ e)
Ø0 l0	J.kh	ekeyk dh l[;k	/kujkf'k
1.	vukjki.k@de olyh		
	• यात्रीकर/ अतिरिक्त कर	56	14.62
	• मार्ग कर	51	1.14
	• माल कर	10	2.55
2.	vU; vfu;ferrk;	692	26.69
	;kx	**809**	**45.00**

स्रोतः लेखापरीक्षा कार्यालय में उपलब्ध सूचना

वर्ष के दौरान विभाग ने 45 मामलों में ₹ 85.06 लाख के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिनमें से पाँच मामलें में सन्निहित धनराशि ₹ 33.69 लाख को 2013–14 में इंगित किया गया था तथा शेष मामलें पूर्ववर्ती वर्षों में इंगित थे। वर्ष 2013–14 के दौरान 43 प्रकरणों में ₹ 45.94 लाख की धनराशि की वसूली की गयी जिसमें तीन मामलों में सन्निहित धनराशि ₹ 71,588 वर्ष 2013–14 के दौरान इंगित किए गये थे एवं शेष पूर्ववर्ती वर्षो के थें। अवशेष प्रकरणों में स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के सम्बन्ध में विभाग का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

कुछ निदर्शी मामलें जिनमें ₹ 35.58 करोड़ की धनराशि सन्निहित है, की चर्चा निम्न प्रस्तरों में की गयी है।

4-3 y[kkijh{kk vkifRr;k

परिवहन विभाग कार्यालयों के अभिलेखों की हमारी जाँच में अतिरिक्त कर, कर, परमिट शुल्क, स्वास्थता शुल्क, पंजीयन शुल्क के कम आरोपण/अनारोपण के मामलें तथा अर्थदण्डों के कम आरोपण/अनारोपण के मामलें, जैसा कि इस अध्याय के अनुवर्ती प्रस्तरों में इंगित किया है, प्रकाश में आयें। ये मामले उदाहरणात्मक है तथा हमारे नमूना जाँच पर आधारित है। इस प्रकार की त्रुटियाँ प्रत्येक वर्ष हमारे द्वारा इंगित की जाती है, परन्तु ऐसी अनियमिततायें न केवल बनी रहती है अपितु हमारी लेखापरीक्षा होने तक पकड़ में नहीं आती हैं। शासन को आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है, ताकि इस तरह की त्रुटियों की पुनरावृत्ति से भविष्य में बचा जा सके।

4-4 ijfeV e vfu;ferrk;

4-4-1 Ldy cl l ijfeV 'kYd dk oly u fd;k tkuk

भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 27/2000 के सन्दर्भ में वर्ष 2010 में यथासंशोधित उ0प्र0मो0या0क0अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी शिक्षण संस्था अपने छात्रों के परिवहन हेतु बिना समुचित परमिट के वाहनों का प्रयोग नहीं करेगी। अग्रेतर उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली, 1998 (31 दिसम्बर 2010 को यथा संशोधित) का नियम 125, नये परमिट के निर्गमन, उसके नवीनीकरण तथा प्रतिहस्ताक्षरित करने हेतु ₹ 3,750 तथा प्रार्थना पत्र शुल्क ₹ 1,000/– प्रावधानित करता है।

सम्भागीय परिवहन कार्यालय मेरठ एवं 10 सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयों[1] की वाहन से सम्बन्धित पत्रावलियों, परमिट रजिस्टर एवं वाहनों के डाटाबेस की जाँच के दौरान हमने पाया (जून 2013 और मार्च 2014 के मध्य) कि जून 2012 से फरवरी 2014 की अवधि में 762 स्कूल वाहन परिक्षेत्रों में बिना परमिट के संचालित हो रहे थे। इसके फलस्वरूप ₹ 36.20 लाख की परमिट शुल्क एवं प्रार्थना पत्र शुल्क की वसूली नहीं हुयी।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (अगस्त 2013 से मई 2014) कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

4-4-2 ijfeV dh 'krk d mYy?ku ij i'keu 'kYd dk vukjki.k

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 72 मंजिली वाहनों के परमिट स्वीकृत करने हेतु विभिन्न शर्ते निर्धारित करता है। उपरोक्त अधिनियम की उप धारा 2 (iii) विनिर्दिष्ट करता है कि ऐसे परमिटों को जारी करने के पश्चात किसी मार्ग या क्षेत्र के सम्बन्ध में सामान्यतः या विनिर्दिष्ट दिनों और अवसरों पर प्रावधानित किये गये दैनिक ट्रिपों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या प्रस्तुत करेगा। पुनश्चः उ0प्र0 मोटर यान कराधान नियमावली, 1998 यथा संशोधित दिनांक 28 अप्रैल 1999 के नियम 17 के अनुसार मंजिली वाहनों का संचालक अधिनियम लागू होने के सात दिनों के अन्दर अथवा वाहनों के स्वामित्व में होने के, जैसा भी प्रकरण हो, कराधान अधिकारी को एक समय सारणी प्रस्तुत करेगा जिसमें मंजिली वाहनों के आगमन एवं प्रस्थान का समय एवं प्रत्येक त्रैमास में की जाने वाली एकल यात्राओं का विवरण और ऐसे दूसरे विवरण जो उसके व्यवसाय से सम्बन्धित है जिसे कराधान अधिकारी समय–समय पर आवश्यकतानुसार आदेशित करें। अधिसूचना संख्या 1452/30–04–10–172/89 दिनांक 25 अगस्त 2010 के अनुसार परमिट शर्तो के उल्लंघन पर ₹ 4,000 प्रति प्रकरण शास्ति आरोपणीय होती है।

हमने पाँच सम्भागीय परिवहन कार्यालयों[2] और 10 सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयों[3] के मंजिली वाहनों के मार्ग पत्रावली की जाँच में पाया (जून 2013 और

---

[1] स0स0प0का0: अम्बेदकरनगर, चित्रकूट, एटा, इटावा, फिरोजाबाद, हमीरपुर, कुशीनगर, मथुरा, सन्त कबीर नगर और सिद्धार्थनगर

[2] अलीगढ, बरेली, बस्ती, झाँसी एवं लखनऊ

फरवरी 2014 के मध्य) कि 1,788 मंजिली वाहन परमिट से आच्छादित थे और अप्रैल 2012 से जनवरी 2014 की अवधि में संचालित हो रहे थे लेकिन किसी भी वाहन स्वामी द्वारा वाहनों के आगमन एवं प्रस्थान की समय सारणी जो कि उक्त प्रावधानों के अनुसार वांछित थी, प्रस्तुत नहीं की गयी। आगे हमने पाया कि हमीरपुर में विभाग द्वारा समय से समय सारणी प्रस्तुत न करने वाले वाहन स्वामियों को नोटिस निर्गत किया गया परन्तु दूसरे परिवहन कार्यालयों द्वारा समय सारणी प्रस्तुत न करने वाले वाहन स्वामियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। जिसके कारण प्रशमन शुल्क के रूप में ₹ 71.52 लाख की वसूली नहीं की जा सकी।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (जुलाई 2013 से मई 2014)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

4-4-3 jk"Vªh; ijfeV ds izkf/kdkj i= dk uohuhdj.k ugha fd;s tkus ds dkj.k jktLo dh olwyh u gksuk

मोटर यान नियमावली, 1989 (मो0या0 नियमावली) के नियम 86 से 90 के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर संचालन हेतु कोई माल वाहन राष्ट्रीय परमिट हेतु सम्भागीय परिवहन अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेगा। मोटर यान अधिनियम, 1988 (मो0या0अ0) की धारा 81 के अनुसार परमिट पाँच वर्षो के लिए वैध होता है। यद्यपि, मोटर यान नियमावली के नियम 87(3) के अनुसार राष्ट्रीय परमिट का प्राधिकार एक वर्ष के लिए होता है। राष्ट्रीय परमिट के नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र ऐसे परमिट के समाप्ति के 15 दिन पूर्व प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इस प्रावधान के अन्तर्गत राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार पत्र हेतु समेकित फीस ₹ 16,500 वार्षिक के साथ प्राधिकार पत्र के प्रार्थना पत्र हेतु ₹ 1,000 को शासन के खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है। परिवहन आयुक्त के फरवरी 2000 के आदेश के अनुसार सम्बन्धित आधिकारी प्राधिकार पत्र के समाप्ति के 15 दिनों के भीतर परमिट धारक को नोटिस निर्गत करेंगे कि वह स्पष्ट करें कि प्राधिकार पत्र नवीनीकरण न कराये जाने पर क्यों न उसका परमिट निरस्त कर दिया जाये। निर्धारित समय में स्पष्टीकरण प्राप्त नही होने पर परमिट को निरस्त कर दिया जायेगा।

हमने जून 2013 और मार्च 2014 के दौरान 11 सम्भागीय परिवहन कार्यालयों[4] के वाहनों की पत्रावलियों, परमिट रजिस्टर, रसीद बुकों और रोकड़ पुस्तिकाओं की जाँच में पाया कि मई 2010 से दिसम्बर 2013 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय परमिट से आच्छादित 38,723 वाहनों में से 1,973 माल वाहन परमिट की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद भी बिना राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार पत्र का नवीनीकरण कराये, संचालित हो रहे थे। फलस्वरूप समेकित तथा प्रार्थना पत्र शुल्क के रूप में ₹ 3.45 करोड़ की धनराशि की वसूली नही की जा सकी एवं इन वाहनों का अनाधिकृत संचालन भी होता रहा।

प्राधिकार–पत्र की वैधता समाप्ति की तिथि, अदा किया गया कर तथा राष्ट्रीय परमिट से युक्त वाहनों के अन्य विवरणों जैसी समस्त सूचनायें यथा पंजीयन प्रमाण–पत्र, परमिट एवं कर आदि के विवरणों के रखे जाने हेतु प्रकल्पित वाहन साफ्टवेयर में उपलब्ध भी था, बावजूद इसके विभाग द्वारा इन प्रकरणों का पता नहीं लगाया जा सका। विभाग द्वारा परमिट धारको को नोटिस निर्गत करने तथा परमिट के निरस्तीकरण की कोई कार्यवाही भी प्रारम्भ नहीं की गयी, जैसा कि परिवहन आयुक्त के फरवरी 2000 के आदेश में विनिर्दिष्ट था।

हमने मामलों को विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया (अगस्त 2013 से मई 2014)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

---

[3] बदायूँ, चित्रकूट, हमीरपुर, हरदोई, जे.पी.नगर, जालौन, कन्नौज, मुजफ्फरनगर, रामपुर एवं सिद्धार्थनगर

[4] आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बांदा, बस्ती, गाजियाबाद, झाँसी, मिर्जापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर और वाराणसी

4-4-4 t0,u0,u0;0vkj0,e0 dh clks ls ijfeV Qhl dk olwy u fd;k tkuk

मोटर यान अधिनियम, 1988 (मो0या0अ0) की धारा 66 प्रावधानित करती है कि बिना वैध परमिट के कोई मोटर यान का प्रयोग एक परिवहन यान के रूप में किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं करेगा या प्रयोग की अनुमति नही देगा। मोटर यान अधिनियम की धारा 81 के अनुसार अस्थायी परमिट से भिन्न परमिट की वैधता पाँच वर्ष की अवधि के लिए है। उ0प्र0 मोटर यान कराधान नियमावली, 1998 अधिसूचना संख्या 2653/40–4–10–4(2)/2010 दिनांक 31 दिसम्बर 2010 द्वारा यथा संशोधित, के नियम 125 के प्रावधानों के अनुसार नये परमिट के निर्गमन और उसके नवीनीकरण के लिए ₹ 6,000 और आवेदन शुल्क के रूप में ₹ 1,000 निर्धारित है।

परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ के वाहनों की पत्रावलियों, परमिट रजिस्टर और वाहनों के डाटाबेस की जाँच के दौरान हमने पाया (जून 2013) कि अप्रैल 2012 से मई 2013 की अवधि में आगरा, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मथुरा एवं वाराणसी जनपदों में 1,140 बसें बिना परमिट के संचालित हो रही थी। परिवहन अधिकारियों द्वारा इसको संज्ञान में नही लिया गया जिसके फलस्वरूप परमिट शुल्क के रूप मे ₹ 68.40 लाख एवं आवेदन शुल्क के रूप में ₹ 11.40 लाख वसूल नहीं किया जा सका।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (अगस्त 2013 और नवम्बर 2013) कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

4-5 t0,u0,u0;0vkj0,e0 dh clks ls vfrfjDr dj dk vukjksi.k

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम (उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम), 1997 (यथा संशोधित 28 अक्टूबर 2009) के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य परिवहन निगम का कोई परिवहन यान उत्तर प्रदेश के किसी सार्वजनिक स्थान पर तब तक प्रयोग में नहीं लाया जायेगा जब तक धारा 6 की उप धारा (1) के अन्तर्गत निर्धारित अतिरिक्त कर का भुगतान न कर दिया गया हो। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के स्वामित्व वाली मंजिली वाहनों के अतिरिक्त कर की दर lkj.kh 4-2 में दी गयी है।

lkj.kh 4-2

m0i0jk0l0i0fu0 dh efty okguks ds vfrfjDr dj dh nj

Ø0l0	okgu dk fooj.k	ijfer lhV dj dh nj ¼₹ esa½		
		ekfld	=Sekfld	okf"kZd
1	जिनकी आयु दो वर्ष से अनधिक	600	1,800	6,500
2	जिनकी आयु दो वर्ष से अधिक किन्तु चार वर्ष से अनधिक	500	1,500	5,400
3	जिनकी आयु चार वर्ष से अधिक किन्तु छः वर्ष से अनधिक	400	1,200	4,800
4	जिनकी आयु छः वर्ष से अधिक पुरानी	150	450	1,600

स्रोतः उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम (उ0प्र0मो0या0क0अधिनयम), 1997 (यथा संशोधित 28 अक्टूबर 2009)।

नगर निगम या नगर पालिका क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत संचालित राज्य परिवहन निगम के वाहन अतिरिक्त कर के भुगतान से मुक्त रहेंगे।

उ0प्र0रा0स0प0नि0 द्वारा लखनऊ एवं इलाहाबाद के सम्भागीय परिवहन कार्यालयों को प्रेषित मार्ग एवं कर पत्रावली एवं चालान की जाँच में हमने पाया (मार्च 2013 और मार्च 2014 के मध्य) कि 248 जे0एन0एन0आर0यू0एम0 बसें नगरीय परिवहन सेवायें लिमिटेड के अन्तर्गत नगर पालिका नगर निगम क्षेत्र से बाहर अक्टूबर 2009 से फरवरी 2014 की अवधि में संचालित हो रही थी एवं इस प्रकार अतिरिक्त कर के रूप में ₹ 19.20 करोड़ के भुगतान के दायी थे, लेकिन परिवहन अधिकारियों ने इन वाहनों से अतिरिक्त कर की वसूली हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की, परिणामस्वरूप अतिरिक्त कर के रूप में ₹ 19.20 करोड़ अनारोपित रहा। विवरण lkj.kh 4-3 में दर्शाया गया है।

lkj.kh 4-3
t0,u0,u0vkj0;w0,e0 dh clksa ls vfrfjDr dj dk vukjksi.k

					(₹ yk[k esa)
Ø0la0	dk;kZy; dk uke	okguksa dh dqy la[;k	uxj fuxe {ks= ls ckgj lapkfyr okguksa dh la[;k	vkjksi.kh; vfrfjDr dj	vof/k
1.	स0 प0 का0 इलाहाबाद	130	110	971.15	11/2009 से 02/2014
2.	स0 प0 का0 लखनऊ	260	138	948.46	10/2009 से 06/2013
;ksx		390	248	1]919-61	

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2013 से अप्रैल 2014)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

4-6 efgUnk eSfDlek okgu dh lhfVax {kerk de fu/kkZfjr fd;s tkus ds dkj.k ns; dj dk de vkjksi.k

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान अधिनियम, 1997 (यथा संशोधित 28 अक्टूबर 2009) की धारा 4 की उप धारा (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में कोई भी परिवहन यान किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तब तक उपयोग में नहीं लाया जायेगा जब तक उससे सम्बन्धित अधिनियम की धारा–4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निर्धारित कर का भुगतान न कर दिया गया हो। मोटर कैब (तीन पहिया मोटर कैब को छोड़कर) और मैक्सी कैब पर 8 नवम्बर 2010 से ₹ 660 प्रति सीट प्रति तिमाही कर निर्धारित था। परिवहन आयुक्त के आदेश दिनांक 7 दिसम्बर 2010 के द्वारा 1,090 किलोग्राम लदान रहित कर्ब भार के सभी वाहन (बेसिक मॉडल) के लिए आठ सीट अनुमन्य की गयी थी।

हमने दो सम्भागीय परिवहन कार्यालयों और तीन सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयों के यात्री कर पंजिका, वाहनों की पत्रावलियां और वाहनों के डाटाबेस की जाँच किया और पाया (जुलाई 2013 से फरवरी 2014 के मध्य) कि जून 2011 से दिसम्बर 2013 की अवधि के दौरान 1,090 किलोग्राम या अधिक लदान रहित भार वाले 399 महिन्द्रा मैक्सिमों वाहनों (बेसिक मॉडल) के सम्बन्ध में परिवहन आयुक्त के आदेश दिनांक 7 दिसम्बर 2010 का उल्लंघन करते हुए कुल आठ सीटो के बजाय सात सीटो पर ही कर निर्धारित कर वसूला गया। वाहन सम्बन्धी विवरण विक्रय पत्र में अंकित रहता है जिसको पंजीकरण के समय स0स0प0का0/स0प0का0 में प्रस्तुत करना होता है। इसको संम्बन्धित स0स0प0अ0/स0प0अ0 नही पकड़ पाये जिसके फलस्वरूप ₹ 11.50 लाख का कर कम वसूला गया। विवरण lkj.kh 4-4 में दर्शाया गया है।

lkj.kh 4-4
efgUnk eSfDlek okgu dh lhfVax {kerk de fu/kkZfjr fd;s tkus ds dkj.k ns; dj dk de vkjksi.k

							(₹ esa)
Ø0 la0	tuin dk uke	bdkbZ dk uke	okguksa dh la[;k ¼1]090 fd0xk0 ls vf/kd ynku jfgr Hkkj½	vof/k	7 + 1 lhV {kerk ds vk/kkj ij vkjksi.kh; dj ifr =Sekl	6 + 1 lhV {kerk ds vk/kkj ij vkjksfir dj ifr =Sekl	dj dk vUrj
1	बलरामपुर	स0स0प0का0	102	06/2011 से 11/2013	23,33,100	19,99,800	3,33,300
2	बांदा	स0प0का0	29	07/2011 से 12/2013	87,01,00	7,45,800	1,24,300
3	फैजाबाद	स0प0का0	82	04/2012 से 11/2013	14,76,860	12,65,880	2,10,980
4	जौनपुर	स0स0प0का0	58	10/2011 से 11/2013	16,41,640	14,07,120	2,34,520
5	लखीमपुर खीरी	स0स0प0का0	128	08/2011 से 06/2013	17,30,960	14,83,680	2,47,280
		;ksx	399		80]52]660	69]02]280	11]50]380

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (अगस्त 2013 से मार्च 2014)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

4-7 okgukas ds fcuk LoLFkrk iek.k i= ds lapkyu ds dkj.k jktLo dh olwyh u gksuk

केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम (के0मो0या0), 1988 की धारा 56 एवं उक्त अधिनियम के अधीन निर्गत केन्द्रीय मोटर यान (के0मो0या0) नियमावली, 1989 के नियम 62 के अनुसार कोई परिवहन यान वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जायेगा जब तक कि उसे स्वस्थता प्रमाण पत्र जारी न कर दिया जाय। नये पंजीकृत परिवहन यान के सम्बन्ध में जारी स्वस्थता प्रमाण पत्र दो वर्षों के लिए वैध होता है और प्रत्येक वर्ष उसका नवीनीकरण करना आवश्यक है। तिपहिया, हल्के, मध्यम एवं भारी वाहनों के लिए निर्धारित जाँच फीस क्रमशः ₹ 100, ₹ 200, ₹ 300 एवं ₹ 400 का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त सभी श्रेणी के वाहनों पर स्वस्थता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु ₹ 100 का नवीनीकरण शुल्क भी आरोपणीय है। विलम्ब की स्थिति में निर्धारित फीस के समतुल्य अतिरिक्त धनराशि भी आरोपणीय है। बिना स्वस्थता प्रमाण पत्र के संचालित वाहन पर मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 192 के अन्तर्गत अधिसूचना सं0 1452/30–4–10–172/89 दिनांक 25 अगस्त 2010 के अनुसार ₹ 4,000 शमन शुल्क आरोपणीय होता है।

हमने 13 सम्भागीय परिवहन कार्यालयों[5] एवं 29 सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयों[6] के कर पंजिका, वाहनों के पत्रावलियों, वाहनों के डाटाबेस, रसीद बुकें एवं रोकड़ बहियों का परीक्षण किया और पाया (अप्रैल 2012 और फरवरी 2014 के मध्य) कि अप्रैल 2012 और फरवरी 2014 के मध्य 6,267 वाहन बिना वैध स्वस्थता प्रमाण पत्र के संचालित थे और उनसे केवल देय कर वसूल किया गया। विभाग के पास ऐसी कोई प्रणाली नहीं है जिससे ज्ञात हो सके कि देयकर स्वीकार करने के समय वैध स्वस्थता प्रमाण पत्र था या नहीं। ऐसे वाहनो का संचालन लोक सुरक्षा के साथ समझौता है। ऐसे वाहनो पर ₹ 1.14 करोड़ का स्वस्थता शुल्क तथा ₹ 7.21 करोड़ शास्ति के रूप में आरोपणीय था क्येाकि वे बिना स्वस्थता प्रमाण पत्र के संचालित हो रहे थे।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (मई 2012 और मई 2014)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

4-8 u;s iath;u fpUg dk vkoaVu u fd;k tkuk

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 47 (1) तथा केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 81 के प्रावधानों के अन्तर्गत जब एक राज्य में पंजीकृत कोई मोटर यान दूसरे राज्य में 12 महीने से अधिक अवधि तक रखा जाता है, तब वाहन स्वामी उस राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर पंजीयन अधिकारी को नया पंजीयन चिन्ह प्रदान करने के लिए आवेदन करेगा तथा उस प्राधिकारी को पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। भारी, मध्यम, हल्के यान तथा गैर परिवहन यान के लिए पंजीयन चिन्ह आवंटन के लिए देय शुल्क क्रमश ₹ 600, ₹ 400, ₹ 300 तथा ₹ 200 है।

सम्भागीय परिवहन कार्यालयों इलाहाबाद, बरेली, कानपुर नगर, मेरठ एवं सहारनपुर तथा सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयो जालौन एवं रामपुर के वाहनों के डाटाबेस एवं सम्बन्धित पत्रावलियों की जाँच के दौरान हमने पाया (जून 2013 से मार्च 2014) कि अप्रैल 2009 से फरवरी 2013 की अवधि के दौरान अन्य राज्यों में पंजीकृत 1,514 वाहन उत्तर प्रदेश (उ0प्र0) में लाये गये एवं पंजीकृत कराये गये तथा एक वर्ष से अधिक अवधि से उत्तर प्रदेश में संचालित थे। यद्यपि वाहनों के स्वामी एक वर्ष से अधिक अवधि से उत्तर प्रदेश में कर जमा कर रहे थे फिर भी उन्होने नये पंजीयन चिन्ह आवंटन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया। प्रर्वतन शाखा द्वारा इन वाहनों को खोजने

---

[5] स0प0का0.: आगरा, आजमगढ, बांदा, बस्ती, फैजाबाद, गोण्डा, गोरखपुर, कानपुर नगर, लखनऊ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं वाराणसी

[6] स0स0प0का0.: अम्बेदकरनगर, औरैया, बदायूँ, बागपत, बाराबंकी, बुलन्दशहर, चित्रकूट, देवरिया, इटावा, फरूखाबाद, फतेहपुर, हरदोई, जे0पी0नगर, जालौन, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, महराजगंज, मैनपुरी, महोबा, मथुरा, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ, रायबरेली, रामपुर, सन्त कबीर नगर, सन्त रविदास नगर, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, एवं सुल्तानपुर

की कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी। इस प्रकार शासन को ₹ 8.17 लाख के राजस्व से वंचित होना पडा।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (अगस्त 2013 से जून 2014)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

4-9 xSj ifjogu ;kuksa dk iqu%iath;u dk uohuhdj.k u djk;k tkuk

मोटर यान (मो0या0) अधिनियम, 1988 की धारा 39 के अन्तर्गत प्रत्येक यान का पंजीयन होना आवश्यक है। उपरोक्त अधिनियम की धारा 41 (7) प्राविधानित करता है कि गैर परिवहन यान का पंजीयन 15 वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है तथा पंजीयन का नवीनीकरण अनुवर्ती पाँच वर्षो के लिए किया जाता है। मोटर यान अधिनियम की धारा 55 (1) के अनुसार यदि मोटर यान नष्ट हो गया है या प्रयोग से स्थायी रूप से अयोग्य हो गया है तो वाहन स्वामी चौदह दिनों के भीतर अथवा यथा शीघ्र, जैसा हो सके, रजिष्ट्रीकरण प्राधिकारी जिसकी अधिकारिता क्षेत्र मे वह निवास करता है या व्यापार स्थल हो, जैसा मामला हो, जहाँ सामान्यतया यान रखा जाता है, को तथ्यों की सूचना देगा, और उस प्राधिकारी को रजिष्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का अग्रसारण करेगा। जहॉ इसके स्वस्थता की जाँच भी होगी और इसके लिए यान के पुर्नपंजीयन के समय इस आशय का प्रमाण पत्र निर्गत होगा जिसके लिए ₹ 200 स्वस्थता प्रमाण पत्र शुल्क और ₹ 100 प्रमाण पत्र निर्गमन के लिए आरोपणीय है। अधिनियम की धारा 177 के अधीन गैर परिवहन हल्के मोटर यान के लिए ₹ 200 पुर्नपंजीयन शुल्क तथा विलम्ब की दशा में ₹ 100 शास्ति भी आरोपणीय है। मोटर यान अधिनियम की धारा 192 के अनुसार यदि यान धारा 39 के प्रावधानों का उल्लघंन करते हुए प्रयोग में लाये जाते है तो वह प्रथम अपराध के अर्थदण्ड, जो ₹ 5,000 तक विस्तारित हो सकेगा, किन्तु ₹ 2,000 से कम नहीं होगा, से दण्डनीय होगा।

ग्यारह परिवहन कार्यालयों (इलाहाबाद, बरेली, फैजाबाद, कानपुर नगर, लखनऊ एवं सहारनपुर के छः स0प0का0 एवं एटा, हमीरपुर, हरदोई, सन्त रविदास नगर एवं सिद्धार्थनगर के पाँच स0स0प0का0) से सम्बन्धित वाहनों की पत्रावलियों, वाहनों के डाटाबेस, रसीद बही और रोकड़ बही की जाँच के दौरान हमने पाया (जून 2013 से मार्च 2014) कि 4,604 गैर परिवहन हल्के मोटर यान अप्रैल 1994 से जनवरी 1999 की अवधि में 15 वर्षो के लिए पंजीकृत किए गये थे। उपरोक्त यानों का पंजीयन अप्रैल 2009 से जनवरी 2014 के दौरान समाप्त हो गया था लेकिन वाहनों का पुनः पंजीयन नहीं कराया गया जिसके परिणामस्वरूप पुर्नपंजीयन शुल्क, शास्ति, स्वस्थता प्रमाण पत्र शुल्क और प्रमाण पत्र शुल्क के रूप में ₹ 27.62 लाख की वसूली नहीं हो पायी।

हमने मामलें को विभाग और शासन को प्रतिवेदित किया (अगस्त 2013 से अप्रैल 2014)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

4-10 vf/kd Hkkj ij 'kkfLr dk vukjksi.k@de vkjksi.k

4-10-1 vf/kd Hkkj ifjofgr djus okys ;ku

मोटर यान अधिनियम, 1988 (मो0या0अधिनियम) की धारा 113, भार एवं प्रयोग की सीमा, जो कि परिवहन आयुक्त द्वारा निर्धारित किए गये है जो राज्य में संचालित वाहनों के परमिट निर्गत करने के सम्बन्ध में संचालन हेतु शर्ते निर्धारित करता है। धारा 113 (3) (ख) के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर पंजीयन प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट सकल यान भार से अधिक लदान वाली मोटर यान या ट्रेलर को न चलवायेगा या चलने देगा।

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 194 (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत जो कोई अनुमन्य भार से अधिक (सकल यान भार–लदान रहित भार) के किसी मोटरयान को चलायेगा या मोटरयान का उपयोग करायेगा या किये जाने देगा, वह न्यूनतम दो हजार रूपये एवं अतिरिक्त प्रतिटन अधिक भार के लिए एक हजार रूपये अर्थदण्ड से

दण्डनीय होगा। इसके साथ–साथ अधिक भार उतरवाने हेतु देय प्रभार का दायी भी होगा।

स0प0का0 इलाहाबाद और मिर्जापुर तथा स0स0प0का0 सीतापुर की अभियोजन पुस्तिकाओं, अपराध एवं जब्ती रजिस्टरों और सम्बन्धित जिला खान कार्यालयों द्वारा उप खनिजों के परिवहन हेतु वाहनों को निर्गत पारगमन प्रपत्र (प्रारूप–सी/एम.एम.–11) की जाँच के दौरान, हमने 312 में से 289 मामलों की नमूना जाँच की तथा पाया (नवम्बर 2013 से मार्च 2014) कि दिसम्बर 2012 से फरवरी 2014 के दौरान विभिन्न श्रेणी के वाहनों द्वारा उप खनिजों का परिवहन किया गया था। इन सभी मामलों में वाहनों के पंजीयन प्रमाण–पत्र में दी गयी अनुमन्य भार से अधिक भार का परिवहन किया गया जैसा कि निर्गत प्रारूप–सी/एम.एम.–11 से प्रमाणित था। अतः ये सभी वाहन मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के अन्तर्गत कार्यवाही के योग्य थे।

हमने सम्बन्धित स0प0का0/स0स0प0का0 की अभियोजन पुस्तिका, अपराध/जब्ती पंजीकाओं की जाँच के बाद पाया कि उक्त वाहन अधिक भार के परिवहन तथा अधिक भार को उतरवाने के प्रभार देय होने के रूप में अंकित नहीं थे। स0प0अ0/स0स0प0अ0 ने इन वाहनों को रोकने और अनुमन्य भार से अधिक भार उतरवाने के लिए दण्डित करने की कार्यवाही नहीं की गयी। इसके लिये जिला खान कार्यालयों एवं सम्भागीय/सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयों में परस्पर समन्वय का कोई तन्त्र नही है।

अधिक भार लदे वाहनों का संचालन लोक सुरक्षा के साथ समझौता है। इन वाहनों पर ₹ 51.26 लाख की शास्ति आरोपणीय थी, जिसका विवरण lkj.kh 4-5 में दर्शाया गया है।

lkj.kh 4-5

vf/kd Hkkj ifjogu djus okys okgu

								(₹ yk[k esa)
Ø0 l0	tuin dk uke	okguksa dh la[;k	ifjofgr [kfut	vof/k ftlesa vkojyksM okgu lapkfyr Fkk	Okkgu }kjk <ks;k x;k Hkkj ¼Vu esa½	iathdj.k i= ds vuqlkj vuqeU; <ks;k tkus okyk Hkkj ¼Vu esa½	vf/kd Hkkj ¼Vu esa½	'kkfLr dh /kujkf'k
1	इलाहाबाद	121	बालू/गिट्टी	09/2013 से 02/2014	20 से 40.80	9 से 21	3 से 31	22.88
2	मिर्जापुर	116	गिट्टी/बोल्डर/पटिया/बालू	12/2012 से 11/2013	10.2 से 58	10 से 21	1 से 41	25.55
3	सीतापुर	52	बालू	08/2013 से 11/2013	16 से 24	15 से 16	1 से 10	2.83
	;ksx	289		12@2012 ls 02@2014	10-2 ls 58	9 ls 21	1 ls 41	51-26

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (फरवरी 2014 से अप्रैल 2014)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

4-10-2 vf/kd Hkkj dh xyr x.kuk

सम्भागीय परिवहन कार्यालयों आजमगढ, झॉसी व मिर्जापुर तथा सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयों फतेहपुर एवं जालौन की अभियोजन पुस्तिकाओं, अपराध/जब्ती पंजिकाओं और सम्बन्धित पत्रावलियों की जाँच के दौरान हमने पाया (जुलाई 2013 से जनवरी 2014) कि जनवरी 2013 से नवम्बर 2013 की अवधि के दौरान 71 प्रकरणों में वाहनों द्वारा उप खनिजों का परिवहन किया गया और 1,523 टन के ओवर लोड होने के कारण प्रशमित किए गये। परन्तु जाँच में हमने पाया कि ओवर लोड की वास्तविक मात्रा 2,206 टन थी जिसकी गणना निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा निर्गत शासकीय आदेश सं0 1844/एम–5 दिनांक 16 फरवरी 2004 (एक घनमीटर मोरम/बालू और गिट्टी/बोल्डर भार में क्रमशः दो टन एवं 1.7 टन के बराबर होता है) के अनुसार की गयी है। फलस्वरूप 683 टन ओवर लोड पर ₹ 6.83 लाख शास्ति का कम आरोपण हुआ। जिसका विवरण lkj.kh 4-6 में दर्शाया गया है।

lkj.kh 4-6

vf/kd Hkkj dh xyr x.kuk

					(₹ esa)
Ø0 l0	tuin dk uke	okguksa dh la[;k	vof/k ftlesa vkoj ykMM okgu lapkfyr Fks	vf/kd Hkkj ¼Vu esa½ dh ek=k ftl ij 'kkfLr vkxf.kr ugha dh x;h	'kkfLr dh /kujkf'k
1	आजमगढ	20	04/2013 से 06/2013	127	1,27,000
2	फतेहपुर	11	07/2013 से 11/2013	145	1,45,000
3	जालौन	8	04/2013 से 05/2013	122	1,22,000
4	झाँसी	8	04/2013 से 06/2013	116	1,16,000
5	मिर्जापुर	24	01/2013 से 11/2013	173	1,73,000
	;ksx	71	01@2013 ls 11@2013	683	6]83]000

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (सितम्बर 2014 से जून 2014)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

4-11 rhu ekg ls vf/kd vH;fiZr okguksa ds lEcU/k esa dj@vfrfjDr dj dk olwy u fd;k tkuk

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान नियमावली, 1998 के नियम 22 (2009 में संशोधित) में व्यवस्था है कि जब परिवहन यान स्वामी को अपने मोटरयान को एक माह या अधिक अवधि के लिए प्रयोग नहीं करना हो, तो कराधान अधिकारी को मोटर वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र, कर प्रमाण पत्र, अतिरिक्त कर प्रमाण पत्र, स्वस्थता प्रमाण पत्र व परमिट, यदि कोई हो, अवश्य अभ्यर्पित करेगा। कराधान अधिकारी एक कैलेन्डर वर्ष में, तीन कैलेन्डर माह से अधिक, किसी वाहन के प्रयोग न किये जाने की सूचना स्वीकार नहीं करेगा। तथापि, यदि स्वामी निर्धारित शुल्क के साथ कराधान अधिकारी को आवेदन करता है तो सम्बन्धित सम्भाग के सम्भागीय परिवहन अधिकारी तीन कैलेन्डर माह से अधिक की अवधि हेतु अभ्यर्पण स्वीकार कर सकेगा। यदि फिर भी ऐसा कोई वाहन सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा समर्पण की अवधि में विस्तार की स्वीकृति के बिना एक वर्ष के दौरान तीन कैलेन्डर माह से अधिक अवधि के लिए अभ्यर्पित बना रहता है, तो अभ्यर्पण रद्द माना जायेगा और वाहन स्वामी यथास्थिति कर और अतिरिक्त कर भुगतान करने का उत्तरदायी होगा। पुनश्चः, उप नियम (4) में निहित प्रावधानों के अधीन समर्पित वाहन का स्वामी, जिसके वाहन का समर्पण पूर्व में स्वीकार किया गया है, किसी भी कैलेन्डर वर्ष में तीन माह के बाद की अवधि के लिए कर एवं अतिरिक्त कर का भुगतान करने का दायी होगा चाहे कराधान अधिकारी द्वारा अभ्यर्पित प्रमाण पत्र वापस किए गये हों अथवा नहीं।

हमने सम्भागीय परिवहन कार्यालय सहारनपुर एवं दस सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयों[7] के अभ्यर्पण पंजिका, वाहनों की पत्रावलियों, यात्री कर पंजिका और मालकर पंजिका की जाँच में पाया (मई 2013 से फरवरी 2014 के मध्य) कि 145 वाहन दिसम्बर 2009 से सितम्बर 2013 की अवधि के दौरान तीन कैलेन्डर माह से अधिक की अवधि के लिए समर्पित थे। इस तथ्य के बावजूद भी कि तीन माह से अधिक समर्पण की अवधि को सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा अवधि में विस्तार स्वीकार नहीं किया गया, कराधान अधिकारियों द्वारा देय कर/अतिरिक्त कर की वूसली हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी जिसके फलस्वरूप ₹ 84.16 लाख के राजस्व की वसूली नहीं की जा सकी।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (जुलाई 2013 से मई 2014)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

4-12 tCr okguksa ls jktLo dh olwyh esa vfu;ferrk

उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम की धारा 22 के प्रावधानों के अन्तर्गत, विभाग के प्रर्वतन शाखा द्वारा जब्त किए गये वाहन पर देय धनराशि तथा उन पर लगाये गये प्रशमन शुल्क के भुगतान के वाहन स्वामी दायी होगें तथा उन्हे अवमुक्त करायेंगें। यदि वाहन

[7] औरैया, बदायूँ, बुलन्दशहर, जालौन, काशीराम नगर, महोबा, मैनपुरी, पीलीभीत, श्रावस्ती एवं सोनभद्र

स्वामी देय राशि के भुगतान हेतु उपस्थित नहीं होते है, तो ऐसे वाहनो को जब्त किए जाने की तिथि के 45 दिनों के बाद नीलाम कर दिया जायेगा तथा वसूल की गयी धनराशि को कर, अतिरिक्त कर, अर्थदण्ड तथा ऐसे नीलामी में हुए व्यय के प्रति समायोजित कर दिया जायेगा। अतिशेष धनराशि, यदि कोई हो, वाहन स्वामी को वापस कर दी जायेगी।

4-12-1 tCr okguksa dh uhykeh dh dk;Zokgh u gksus ds dkj.k jktLo dh {kfr

सात स0स0प0का0/स0प0का0[8] के जब्ती पंजिकाओं एवं सम्बन्धित पत्रावलियों की जाँच के दौरान हमने पाया (मई 2013 से जनवरी 2014 के मध्य) कि अगस्त 2002 से अक्टूबर 2012 के दौरान उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत देय धनराशि ₹ 46.45 लाख जमा नहीं किए जाने के कारण प्रर्वतन शाखा द्वारा 56 वाहन जब्त किए गये थे एवं बकायेदार 45 दिनों के निर्धारित अवधि के अन्दर देय धनराशि जमा करने में विफल रहे थे। जब्ती की तिथि से नौ माह से 11 वर्षो की अवधि व्यतीत हो जाने के बाद भी सम्बन्धित कार्यालयों द्वारा उक्त अधिनियम के तहत नीलामी की कार्यवाही नहीं की गयी। इस प्रकार सम्भागीय परिवहन अधिकारियों/सहायक संम्भागीय परिवहन अधिकारियों के स्तर पर कोई कार्यवाही न किए जाने के कारण जब्त वाहनो से देय ₹ 46.45 लाख की वसूली नहीं की जा सकी।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (जुलाई 2013 से मई 2014)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

4-12-2 tCr okguksa dh uhykeh ls de jktLo dh olwyh fd;k tkuk

हमने तीन सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालय/सम्भागीय परिवहन कार्यालयों के जब्ती पंजिकाओं एवं सम्बन्धित पत्रावलियों की जाँच में पाया (जून 2013 और जुलाई 2013) कि सितम्बर 2008 से मार्च 2012 की अवधि के दौरान उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम के अन्तर्गत देय धनराशि ₹ 43.81 लाख जमा न किए जाने के कारण प्रर्वतन शाखा द्वारा 117 वाहन जब्त किए गये थे। बकायेदार निर्धारित अवधि 45 दिनों के अन्दर देय धनराशि जमा करने में विफल रहे। विभाग ने जब्त वाहनों की नीलामी सितम्बर 2012 से नवम्बर 2012 के मध्य सम्पन्न किया और देय धनराशि ₹ 43.81 लाख के सापेक्ष ₹ 8.51 लाख की वसूली की जा सकी। इस प्रकार ₹ 35.27 लाख की कम वसूली की गयी फिर भी सम्बन्धित कार्यालयों ने शेष धनराशि की वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया, जिसका विवरण lkj.kh 4-7 में दर्शाया गया है।

lkj.kh 4-7

jktLo dh de olwyh

(₹ e)

Ø0 l0	bdkbZ dk uke	okgukas dh dqy la[;k	okgukas dh tCrh vof/k	uhykeh dh frfFk	ns; /kujkf'k	olwy dh x;h /kujkf'k	de olwy fd;k x;k dj
1	स0प0का0 झॉसी	99	09/2008 से 03/2011	05.11.2012	22,44,304	4,52,000	15,92,304
2	स0प0का0 लखनऊ	11	…….	22.09.2012 एवं 28.09. 2012	20,76,563	2,56,500	18,20,063
3	स0स0प0का0 मुजफ्फरनगर	7	08/2009 से 03/2012	08.10.2012	2,60,249	1,46,000	1,14,249
	;ksx	117	09@2008 ls 03@2012	22-09-2012 ls 05-11-2012	43]81]116	8]54]500	35]26]616

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना।

हमने मामलों को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (अगस्त 2013 से दिसम्बर 2013)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

[8] स0प0का0ः गोण्डा, स0स0प0का0ः औरैया, बुलन्दशहर, हरदोई, हाथरस, लखीमपुरखीरी और पीलीभीत

4-13 jktLo dh olwyh fd, fcuk olwyh izek.k i= dk okil vkuk

उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत किसी कर या अतिरिक्त कर या शास्ति का बकाया, भू–राजस्व के बकाये की भाँति वसूलनीय होगा। पुनश्च कराधान अधिकारी प्रत्येक वर्ष कर, अतिरिक्त कर और शास्ति के बकाये के लिए जिसमें पूर्ववर्ती वर्षो के कर, अतिरिक्त कर या शास्ति भी शामिल रहेगें, वाहन स्वामियों या संचालको को निर्धारित प्रारूप में माँग पत्र जारी करेगा।

यदि देयों का भुगतान वाहन के जब्त या रोके जाने की तिथि से 45 दिन के अन्दर नहीं होता तो धारा 22 कराधान अधिकारी को अधिकृत करता है कि वह इन वाहनों को जब्त एवं रोक कर, इनसे देयों की वसूली नीलामी द्वारा करे।

सम्भागीय परिवहन कार्यालय झाँसी और सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयों मुजफ्फरनगर, रायबरेली और सोनभद्र के कर पंजिका, बकाया पंजिका, वसूली प्रमाण पत्र निर्गत पंजिका और वाहनों की पत्रावलियो की जाँच के दौरान हमने पाया (जून 2013 और अगस्त 2013 के मध्य) कि मई 1997 से नवम्बर 2012 की अवधि के दौरान 170 प्रकरणों में वसूली प्रमाण पत्रों (व0प्र0पत्रों) को जारी किया गया था जिसमें ₹ 46.48 लाख कर/अतिरिक्त कर के रूप में बकाया था। अवशेष देयों की वसूली नहीं हो सकी। वसूली प्रमाण पत्र बिना वसूली हुए गलत पता/मृत्यु/सम्पत्ति का न होना/बकायेदार के पिता का नाम अंकित न होना, की टिप्पणी के साथ वापस कर दिया गया। जिसके कारण धनराशि ₹ 46.48 लाख के राजस्व की वसूली नहीं हो पायी। जैसा विवरण lkj.kh 4-8 में दर्शाया गया है।

lkj.kh 4-8

olwyh izek.k i= dh okilh

(₹ e)

Ø0l0	tuin dk uke	bdkbZ dk uke	okguksa dh la[;k	Okl wyh izek.k i= fuxZr djus dh vof/k	/kujkf'k	vfHk;fDRk
1	झाँसी	स0प0का0	14	01/2010 से 11/2012	8,04,890	गलत पता/बकायेदार की मृत्यु के कारण वसूली प्रमाण पत्र वापस
2	मुजफ्फरनगर	स0स0प0का0	18	05/1997 से 08/2009	5,72,438	सम्पत्ति के न होने/संयुक्त जाँच के कारण वसूली प्रमाण पत्र वापस
3	रायबरेली	स0स0प0का0	40	08/2009 से 05/2012	12,96,550	गलत पता के कारण वसूली प्रमाण पत्र वापस
4	सोनभद्र	स0स0प0का0	98	06/2010 से 03/2012	19,74,339	सम्पत्ति न होने/बकायेदार के पिता का नाम अंकित न होने के कारण वसूली प्रमाण पत्र वापस
;ksx			170		46]48]217	

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना।

हमने मामले को विभाग एवं शासन को प्रतिवेदित किया (अगस्त 2013 से अक्टूबर 2013)। कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (दिसम्बर 2014)।

4-14 vkUrfjd ys[kkijh{kk

किसी संगठन की आन्तरिक नियंत्रण क्रिया विधि में आन्तरिक लेखपरीक्षा शाखा (आ0ले0प0शा0) एक महत्वपूर्ण घटक है और इसे सामान्यतः सभी नियंत्रको के नियंत्रक के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह संगठन को सुनिश्चित करता है कि निर्धारित तन्त्र भलीभाँति कार्य कर रहा है।

आन्तरिक लेखापरीक्षा शाखा वित नियंत्रक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आ0ले0प0शा0 में एक सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं छः लेखापरीक्षकों के पद स्वीकृत हैं जिसके सापेक्ष एक सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं तीन लेखा परीक्षक को पदस्थ किया गया है।

आन्तरिक लेखापरीक्षा आयोजना जैसे कि लेखापरीक्षा हेतु आयोजित इकाईयों की संख्या, लेखा परीक्षित इकाईयों की संख्या एवं कमी का विवरण lkj.kh 4-9 में दर्शाया गया है।

lkj.kh 4-9
vkUrfjd y[kkijh{kk

o"k	vk0y0i0 gr miyC/k dy bdkb;k dh l[;k	vk0y0i0 gr vk;kftr bdkb;k dh l0	o"k d nkjku y[kk ijhf{kr bdkb;k dh l[;k	deh	deh dh ifr'krrk
2009—10	131	37	30	07	18.92
2010—11	101	32	18	14	43.75
2011—12	101	36	22	14	38.88
2012—13	101	40	19	21	52.50
2013—14	101	31	22	09	29.03

स्रोतः विभाग से प्राप्त सूचना।

उपरोक्त सारणी यह प्रदर्शित करती है कि आ0ले0प0शा0 की लेखापरीक्षा आयोजना तार्किक नहीं है क्योकि वर्ष 2009—10 से 2013—14 के दौरान कमी 18.92 प्रतिशत से 52.50 प्रतिशत के मध्य थी। विभाग द्वारा मानव—शक्ति की कमी, आ0ले0प0शा0 को अतिरिक्त कार्य आवंटन और अतिरिक्त पद का सृजन न किया जाना एवं स्वीकृत पद के सापेक्ष स्टाफ की कमी का होना मुख्य कारण बताया गया है। हम विभाग द्वारा बताये गये कारणों से सहमत नहीं है क्येाकि लेखापरीक्षा आयोजना स्टाफ की उपलब्धता के अनुरूप तैयार किया जाना चाहिए।

आ0ले0प0शा0 द्वारा सम्पादित की गयी आन्तरिक लेखापरीक्षा एवं वर्ष के दौरान उठाई गयी और निस्तारित की गयी आपत्तियों की संख्या एवं धनराशि lkj.kh 4-10 में दर्शायी गयी है।

lkj.kh 4-10
vfuLrkfjr iLrjk vkj /kujkf'k dk fooj.k

(₹yk[k e)

o"k	ikjfEHkd vo'k"k		o"k d nkjku of)		o"k d nkjku fuLrkj.k		vfUre vo'k"k	
	idj.kk dh l0	lfUufgr /kujkf'k	idj.kk dh l0	lfUufgr /kujkf'k	idj.kk dh l0	lfUufgr /kujkf'k	idj.kk dh l0	lfUufgr /kujkf'k
2009—10	4,185	1,990	244	154	0	0	4,429	2,144
2010—11	4,429	2,144	153	139	0	0	4,582	2,283
2011—12	4,582	2,283	204	81	0	0	4,786	2,364
2012—13	4,786	2,364	137	73	12	13	4,911	2,424
2013—14	4,911	2,424	198	54	19	21	5,090	2,457

स्रोतः विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि आ0ले0प0शा0 द्वारा उठाये गये प्रकरणों के विरूद्ध विभाग द्वारा किया गया अनुपालन अत्यन्त कम है।

ge lLrfr djr g fd vk0y0i0'kk0 dk etcr fd;k tk; vkj okf"kd y[kkijh{kk vk;ktuk dk rkfdd :Ik l r;kj fd;k tk;A vk0y0i0'kk0 }kjk mBk; x; idj.kk dh Rofjr olyh gr foHkkx }kjk lefpr dk;okgh dh tk;A